

**RAILWAY PROTECTION FORCE**  
**(Government of India)**  
**(Ministry of Railways)**  
**EMPLOYMENT NOTICE NUMBER 2 / 2011.**

Applications are invited from eligible Male and Female candidates for filling up the posts of Sub Inspector in the Pay Band of Rs.9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4200/- in the Railway Protection Force (RPF) including Railway Protection Special Force (RPSF). Details are given below:

1. **NUMBER OF VACANCIES:**

SC	ST	OBC	UR	TOTAL
69	40	91	311	511

**SC means Scheduled Caste, ST means Scheduled Tribe, OBC means Other Backward Class as defined by the Government of India and UR means Unreserved.**

**Note (i)** Reservation for Ex-Servicemen will be upto 10% of the vacancies. Further category-wise break up for SC, ST and OBC will not be done under this quota.

**Note (ii)** 10% of the vacancies shall be filled up by female candidates in each category.

**Note (iii)**

- (a) The number of vacancies shown under various categories is provisional and may increase or decrease or even become nil depending upon the requirement of the Railway Administration.
- (b) The Railway Administration reserves the right to cancel the recruitment as well as the notified vacancies at its discretion at any time and such decision shall be binding on all concerned.
- (c) In the event of cancellation of the recruitment, the examination fee will not be refunded.
- (d) The Post of Sub Inspector in the Railway Protection Force including the Railway Protection Special Force has not been identified as suitable for persons with disabilities by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (e) The selected candidates will be liable to serve anywhere in India in the Railway Protection Force including the Railway Protection Special Force.

2. **PAY AND ALLOWANCES:**

The post carries a Pay of Rs.13500/- in the Pay Band of Rs.9300-34800/- including Grade Pay of Rs. 4200/- with such allowances that are admissible under Railway Rules.

3. **INELIGIBILITY:**

No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment in the RPF including RPSF.

4. **ELIGIBILITY:**

- a) **Citizenship:** The applicant must be a citizen of India.
- b) **Education:** The applicant must have passed the Graduation or equivalent examination conducted by a recognized University. Educational qualification obtained from institutions other than a recognized University should be submitted along with the Government of India notification declaring that such educational qualification is equivalent to Graduation for employment under Central Government.
- c) **Age:** The applicant must not be less than 20 years and not more than 25 years as on 1<sup>st</sup> July 2011. That is, he/she must not have born before 01.07.1986 and after 01.07.1991. Age mentioned in the Matriculation or equivalent certificate will only be accepted.

## d) Relaxation in Age:

Sr No.	Category	Age relaxation permissible beyond the upper age limit.
1.	SC/ST	5 years
2.	OBC	3 years
3.	Ex-Servicemen (Unreserved / General)	3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on 1 <sup>st</sup> July 2011.
4.	Ex-servicemen (OBC)	6 years (3 years + 3 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on 1 <sup>st</sup> July 2011.
5.	Ex-Servicemen (SC / ST)	8 years (3 years + 5 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on 1 <sup>st</sup> July 2011.
6.	Candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period 1 <sup>st</sup> Jan 1980 to 31 <sup>st</sup> Dec 1989. (Unreserved)	5 years.
7.	Candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period 1 <sup>st</sup> Jan 1980 to 31 <sup>st</sup> Dec 1989. (OBC)	8 years.
8.	Candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period 1 <sup>st</sup> Jan 1980 to 31 <sup>st</sup> Dec 1989. (SC / ST)	10 years.
9.	Central Govt. civilian employees (Unreserved) including serving railway employees, who have rendered not less than 3 years of regular and continuous service as on 1 <sup>st</sup> July 2011.	Up to 30 years of age.
10.	Central Govt. civilian employees (OBC) including serving railway employees, who have rendered not less than 3 years of regular and continuous service as on 1 <sup>st</sup> July 2011.	Up to 33 years of age.
11.	Central Govt. civilian employees (SC.ST) including serving railway employees, who have rendered not less than 3 years of regular and continuous service as on 1 <sup>st</sup> July 2011.	Up to 35 years of age.

Note: The persons claiming relaxation under Sr No. 6, 7 & 8 above must produce a certificate to the effect that they had been domiciled in the State of J&K during the period from 1<sup>st</sup> Jan 1980 to 31<sup>st</sup> Dec 1989 from the District Magistrate within whose jurisdiction they had ordinarily resided or from any other authority designated on his behalf by the Govt. of Jammu & Kashmir.



e) **Physical Standards:** Applicant must have the following physical standards:

Category	Height Male (Cms)	Chest Unexpanded Male (Cms)	Chest Expanded Male (Cms)*	Height Female (Cms)
UR/OBC	165	80	85	157
SC/ST	160	76.2	81.2	152
Hillman**	163	80	85	155

\* A minimum expansion of 5 cms in chest is essential

\*\* For Garhwalis, Gorkhas, Kumaonese, Dogras, Marathas, persons hailing from Himachal Pradesh, Sikkim, Ladakh, Kashmir Valley and North Eastern States subject to production of Domicile certificate from the District Magistrate / SDM / Tehsildar and other categories specified by Government from time-to time.

## 5. METHOD OF RECRUITMENT:

Recruitment will be made based on the performance of the eligible applicants in a Written Examination, Physical Efficiency Test, Physical Measurement, Viva-Voce Test, Bonus Marks, if any, obtained and Documents Verification. Written Exams will be held first and only those who obtain the prescribed minimum marks will be called for Physical Efficiency Test & physical measurement.

### A. WRITTEN EXAMINATION:

- (a) The Written Examination will consist of 120 multiple choice objective type questions of one mark each and shall be of 90 minutes' duration. The question paper will carry 120 as maximum marks. The question paper will consist of 35 questions on General Intelligence & Reasoning (35 Marks), 35 questions on Arithmetic (35 Marks) and 50 questions on General Awareness (50 Marks). Candidates will be required to answer all the questions. Each correct answer will be awarded 1(one) mark and 0.25 mark will be deducted for 1 (one) incorrect answer. No mark shall be awarded or deducted for questions not attempted.
- i. **General Awareness (50 marks) :-** Questions in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to the society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India especially pertaining to History, Arts & Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution, Sports, General Science, Scientific Research etc.
- ii. **Arithmetic (35 marks) :-** This part will include questions on problems relating to Number systems, Computation of whole numbers, decimal and fractions and relationships between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and proportions, averages, simple and compound interest, profit and loss, discount, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time etc.
- iii. **General Intelligence & reasoning (35 marks) :-** It would include questions of both verbal and non- verbal type. This component will include questions on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, problems solving analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation , relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning etc.
- (b) Candidates must bring the Call Letter at the time of written test. Call letter will be sent by post. No one will be allowed to appear in the written examination without a call letter.
- (c) Question Paper will be set in Hindi, English, Urdu, Marathi, Bengali, Telugu, Oriya, Punjabi, Gujarati, Tamil, Malyalam, Kannada, Konkani, Assamese and Manipuri. Applicants who wish to have the question paper in a particular language may indicate so in the Application Form. Language, once chosen cannot be changed under any circumstance.

(d) The call letter will contain the date, place, venue and time of the examination and other instructions, if any on this subject.

(e) A candidate must obtain at least 40% marks (35% in the case of SC and ST candidates) in the Written Examination for being considered for other Test /Tests.

**B. PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) AND PHYSICAL MEASUREMENT:**

- a) Only those applicants who qualify in the Written Examination shall be called for PET and Physical Measurement. The manner in which the candidates are to be called and the number of candidates to be called for PET and Physical Measurement will be decided in such a way that candidates, to the extent of three times the number of notified vacancies in each category, are selected purely on the basis of merit to appear for viva-voce and documents verification.
- b) PET will consist of the events as given below in the table. A candidate has to qualify in all the events to be declared qualified in PET. The PET will be qualifying in nature. The minimum qualifying standard for each event is specified as under:

Event	Male	Female	Number of chances
1600 meter race	6 min 30 sec	Not applicable	One
800 meter race	Not applicable	4 minutes	One
100 meter race	16 Sec.	18 Sec.	One
High Jump	1.2 meters	0.9 meters	Two
Long Jump	3.65 meters	2.7 meters	Two
Shot put (Weight 16 lbs)	4.5 meters	Not applicable	Two

c) 1600 meters / 800 meters run will be held first and only those applicants who qualify in this event will further take part in the remaining events of the PET. Only those candidates who qualify in 1600 meters/800 meters run will be measured for height and chest (applicable for male candidates only). Applicants, who fail in any of the events of the PET or in physical measurement, either of height or chest, will be declared 'failed' and shall be escorted out of the venue after putting an indelible ink mark on the index finger of the left hand. Their call letters will not be returned.

d) PET will be held at a specified place and on a specified date and the applicants will be informed of the same in advance.

e) There will be no PET for Ex-Servicemen.

f) The call letter for PET will give further instructions, if any, on this subject.

**C. VIVA-VOCE AND DOCUMENTS VERIFICATION:**

(a) Candidates who qualify in the PET and Physical Measurement will be called for Viva-Voce and Documents Verification. However, the number of candidates to be called for Viva-Voce and Documents Verification shall not exceed three times the number of notified vacancies in each category. The candidates must produce all original documents in support of their educational qualification, age, SC/ST/OBC status, where applicable (on the format prescribed in the advertisement), domicile and any other extra curricular activities including NCC at the time of Viva-Voce and documents verification. Request for production of the original documents on a later day will not be entertained under any circumstance. Failure to produce the document may lead to disqualification of the candidate. The appearance of the candidate for viva-voce will be compulsory. Those who do not appear at the viva-voce will not be considered in the final selection, irrespective of their performance in the written examination and PET.

(b) The purpose of the Viva-Voce is to determine the candidate's general awareness, power of comprehension, expression, personality, experience, etc.

- (c) Maximum mark for the Viva-Voce Test is 15 (Including Bonus marks)
- (d) **Bonus marks:**  
 Bonus marks are allotted as under:
- i) NCC: -
    - B Certificate of NCC – 01 mark
    - C Certificate of NCC – 02 mark
    - \* Maximum bonus marks for NCC certificate will not exceed 02 .
    - \* Benefit will be given only on production of Original Certificate supporting their claim
  - ii) SPORTS (As per list indicated below)
    - Represented University at inter-university sports - 01 mark
    - Represented State at inter-state sports – 02 marks
    - Represented India at an International sports meet – 03 marks.
    - Medal winner at national level sports meet – 03 marks
    - \* Maximum bonus marks for Sports certificate will not exceed 03.

List of Games / Sports considered for bonus marks

    1. Athletics, 2. Swimming, 3. Shooting, 4. Boxing, 5. Canoeing, 6. Cycling, 7. Wrestling, 8. Gymnastics, 9. Judo, 10. Rowing, 11. Weightlifting, 12. Fencing, 13. Karate, 14. Equestrian, 15. Archery, 16. Table-Tennis, 17 Tennis, 18. Badminton, 19. Diving, 20. Triathlon, 21. Volleyball, 22. Water Polo, 23. Netball, 24. Kho-Kho, 25. Basketball, 26. Football, 27. Kabaddi (Circle Kabaddi /Beach Kabaddi) 28. Handball, 29. Hockey, 30. Cricket, 31. Golf, 32. Power lifting.
  - iii) Total Bonus Marks for all categories put together shall not exceed 5.
- (e) The call letter for the Viva-Voce will contain further instructions, if any, on this subject.

## 6. MEDICAL EXAMINATION:

The applicants who are finally selected will be sent for a medical examination at a Railway Hospital. They will have to qualify in medical category 'B-1' as prescribed in Indian Railway Medical Manual. Those wearing glasses or having flat foot, knock-knee, squint eye, colour blindness and other bodily defects are not eligible for appointment.

## 7. TRAINING:

The candidates will have to undergo a rigorous initial training in any one of the RPF/RPSF Training Centres or any such Institution as decided by the Railway Administration in the event of their selection. The trainee cadets will be given a stipend of Rs. 9300/- + Grade Pay Rs.4200/- plus other allowances as admissible under the Railway Rules during the period of training. Passing the Final Examination at the end of the training is a must for appointment to the Force.

## 8. HOW TO APPLY:

**A. Examination Fee:** An examination fee (non-refundable) of Rs.150 is payable in the form of a crossed Indian Postal Order/Bank draft payable in favour of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Railway to which the application is submitted. Cheque or Money Order will not be accepted. Female applicants, applicants belonging to Scheduled Caste & Scheduled Tribe category, Minority community and Economically Backward Classes and Ex-servicemen need not pay the Examination Fee.

Minorities will mean Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis). Economically backward classes will mean the candidates whose family income is less than Rs.

50,000/- (rupees fifty thousand) per annum. The following authorities are authorised to issue income certificates for the purpose of identifying economically backward classes:

- i) District magistrate or any other revenue officer up to the level of Tehsildar.
- ii) Sitting Member of Parliament of Lok Sabha for persons of their own constituency.
- iii) BPL Card or any other certificate issued by Central Government under a recognized Poverty Alleviation Programme or Izzat MST issued by railways.
- iv) Union Ministers may also recommend any person from anywhere in the country.
- v) Sitting Members of Parliament of **the** Rajya Sabha for persons of the district in which these MPs normally reside.

The income certificate issued by the authorities mentioned above will have to be on the Format given in Annexure 'F'.

**B. Application form:** a) The format of the application form is given at Annexure 'A'. Application forms can be downloaded from the official website of Indian Railways ([www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in)) or taken from the Employment News/Rozgar Samachar or from this advertisement and submitted on A-4 size bond paper, using one side of its leaf only and sent to the address corresponding to the language chosen for the Question Paper. Only one application need be sent. The addresses to which the completed application should be sent, the details of the person in whose favour the Draft/IPO shall be drawn and the place where payable are given below. The languages for the question paper are also shown for the convenience of the applicants.

Group	Address to which the completed application should be sent	Draft/IPO drawn in favour of	Place where payable	Languages of Written Examination
1	Chief Security Commissioner / RPF North Central Railway, Box No 1-25 Allahabad, (U.P). Post	Financial Adviser and Chief Accounts Officer, North Central Railway, Allahabad, (U.P).	Allahabad (UP)	Hindi, English, Urdu, Punjabi
2	Chief Security Commissioner / RPF, South Eastern Railway, Post Box No. 663 Garden Reach-Kolkata 700001 (W.B.)	Financial Adviser and Chief Accounts Officer, South Eastern Railway, Garden Reach, Kolkata. (W.B)	Kolkata (W.B)	Hindi, English, Urdu, Bengali, Oriya, Assamese, Manipuri.
3	Chief Security Commissioner / RPF, Central Railway, Chhatrapati Shivaji terminus, Post Box No. 12 at Mumbai, GPO, Mumbai – 400001 (Maharashtra)	Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Central Railway, Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai. (Maharashtra)	Mumbai. (Maharashtra)	Hindi, English, Urdu, Marathi, Gujarati, Konkani.
4	Chief Security Commissioner/RPF, South Central Railway, Rail Nilayam Post Box No. 7101 Secunderabad (Andhra Pradesh)	Financial Adviser and Chief Accounts Officer, South Central Railway, Secunderabad (A.P.)	Secunderabad (AP)	Hindi, English, Urdu, Kannada, Tamil, Telugu, Malyalam



- b) The words, “**APPLICATION FOR THE POST OF SUB INSPECTOR IN RPF INCLUDING RPSF**” shall be superscribed on the envelope containing the application.
- c) The exact date, time, place and venue for the tests will be intimated to the candidates through Call Letters.
- d) **Applications should be sent through ordinary post only. No application will be received by hand or by registered post or through private courier service.**
- e) Applications should be filled by the candidates in their own handwriting, in Hindi or English only. Left Hand thumb impression in the case of Male applicants and Right Hand thumb impression in case of Female applicants shall be affixed in the box given at the bottom of the application. Applications signed in capital letters/spaced-out letters will be treated as invalid. Applications with correction or overwriting or smudged thumb impression may be rejected.
- f) Coloured photograph (3.5 cms x 4.5 cms) of the applicant should be pasted at the space provided in the application form with clear front view of the face without cap and sunglasses.
- g) Applications must be accompanied by:
- (i) A Crossed Indian Postal Order or a Bank Draft for Rs. 150/-, if applicable.
  - (ii) Attested copy of Graduation certificate as proof of Educational Qualification,
  - (iii) Attested copy of Matriculation certificate as proof of age,
  - (iv) Attested copy of SC / ST / OBC Certificate in the prescribed format given at Annexure ‘C’/ ‘D’, if applicable.
  - (v) Declaration by applicants belonging to OBC in the format given at Annexure ‘E’.
  - (vi) Attested copy of Domicile Certificate, if applicable.
  - (vii) Attested copy of Discharge Certificate for Ex-servicemen.
  - (viii) Two coloured photographs (3.5 cms x 4.5 cms) with clear front view of the face without cap and sunglasses mentioning the name of the candidate on the reverse side in addition to the one pasted on the application
  - (ix) Three self addressed envelopes (28 cms x 12 cms) each bearing postal stamp of Rs.5/- duly affixed.
  - (x) Certificate for Economically backward classes for claiming concession in fee.
  - (xi) No Objection Certificate (NOC) from the present employer in case of serving Central Govt. employees.
- h) **Applications may be rejected on the following grounds:**
- i) Applications, which are not submitted in the format given in Annexure ‘A’.
  - ii) Non enclosure of Bank Draft or IPO or Certificate of Economically backward class wherever applicable.
  - iii) Coloured photograph, as prescribed, not pasted on the application.
  - iv) Un-signed or Incomplete or illegible application, applications signed in capital letter.
  - v) Under aged or Over-aged candidates,
  - vi) Non enclosure of Copy of Graduation/Matriculation certificate or equivalent for proof of educational qualification and age.
  - vii) Application filled in a language other than English or Hindi
  - viii) Non enclosure of copy of SC/ST/OBC certificate in the prescribed format by applicants belonging to the respective categories.
  - ix) Non enclosure of copy of Discharge certificate in case of Ex-Servicemen.
  - x) Non enclosure of Declaration by applicants belonging to OBC in the format given in Annexure ‘E’.
  - xi) Non enclosure of domicile certificate wherever applicable.
  - xii) Applications received after the last date for receipt of application.
  - xiii) Non enclosure of self addressed and stamped envelopes.

xiv) Non enclosure of additional photo.

xv) Non compliance of any other instruction/requirement.

**9. NOTES:**

- a) Applicants called for Written Examination/PET/Viva-Voce and Documents Verification shall make their own arrangements for boarding, lodging and transport.
- b) The applicants called for the PET will take part in the events at their own risk. Railways will not be liable to compensate the candidates in any way, in case they suffer any injury while undertaking the PET. They should bring with them sports gears such as sports shoes, shorts, vest etc. Nothing will be provided by the Railways.
- c) Candidates must bring writing materials such as pen, pencils, etc for the written test.
- d) Railway Passes to the eligible candidates shall be issued as per extant Railway Rules.
- e) Impersonation, if any, detected at any stage of the recruitment, may result in initiating criminal cases against the applicant and the impersonator as well as canceling the candidature of the applicant.
- f) Candidates found to be having adverse report on their antecedents and character may not be appointed in RPF including RPSF. False declaration/production of false certificate is an offence under the law and will lead to disqualification of the applicant, institution of criminal case and also dismissal from service, if appointed. Hence, applicants are advised to be careful while filling in the application.
- g) The decision of Selection Committee on all matters relating to eligibility, place, venue, date, mode of selection, acceptance or rejection of the application will be final and binding on the applicants.
- h) If a candidate has any grievance regarding physical measurement and the Chairman of the Recruitment Committee does not redress the same, he may, within three days, approach the Grievance Redressal Cell in the office of the Zonal Chief Security Commissioner concerned whose decision shall be final.
- i) Persons applying under the Ex. servicemen quota should note that in accordance with the instructions of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Govt. of India, an applicant who has already availed the benefit of Ex. serviceman's status and got any Govt. job shall not be allowed to avail the benefit under the Ex. Serviceman quota in this recruitment.
- j) An applicant serving under a Govt. or Public Sector Enterprise/Undertaking including Railways will be considered for appointment only after he/she furnishes a No Objection Certificate duly issued by the employer at the time of Viva-Voce along with an undertaking from the employer that in case of selection, the department will spare the candidate for joining the RPF.
- k) The Railway Administration reserves the right to call an applicant to any place for the Written Examination/PET /Viva-Voce/Documents Verification.
- l) Railway Protection Force includes Railway Protection Special Force.
- m) The Railway Administration shall not be responsible for postal delay or wrong delivery of the Application or any Call letter
- n) Canvassing in any form will be a disqualification.

**10. Last date for receipt of Application:**

**30 days (37 days for persons living in the North Eastern States and the Andaman and Nicobar Islands ) from the date, this Employment Notice is published in the Employment News.**

(Harananda)  
Chief Security Commissioner,

12  
North Western Railway &  
Chairman, Central Recruitment Committee

Jaipur  
April,13, 2011

**RAILWAY PROTECTION FORCE  
(MINISTRY OF RAILWAYS)  
Application Form**

Roll No.....

(for office use only)

Tick (☑) the appropriate box

Male	Female		
GEN	OBC	SC	ST

To,

Chairman, Central Recruitment Committee &  
Chief Security Commissioner/RPF,

Affix here a self signed  
(sign across covering  
sheet and photograph)  
recent passport size  
photograph (4.5cm X  
3.5 cm) without cap &  
coloured glasses

I Hereby apply for the post of Sub Inspector (Executive) in RPF/RPSF in response to Employment Notice No.....

1. (i) Name of Candidate : .....
- (ii) Father's /Husband's Name.....

2. a) Date of Birth : Day   Month   Year

3. Whether Ex-Serviceman, tick (☑) the appropriate box : Yes  No

4. (i) Do you seek age relaxation as (tick (√) the appropriate box)  Central Govt. Employee  Resident of Jammu & Kashmir  Widow/judicially separated / divorced women not remarried

(ii) Do you seek relaxation in height being Hilmen (Tick (☑) the appropriate box)  yes  No

(for Garhwalis, Gorkhas, Kumaonese, Dogras, Marathas, etc and other categories specified by Govt. from time to time)

5. In Case of Central Govt. Civilian Employee, mention

- (a) Post.....  
(b) Organization.....  
(c) Length of continuous service.....

6. Details of Bank Draft/Postal order(s) :

Name of the Bank/Post office	No. of Bank Draft/IPO	Date of issue	Value.

7. Full postal Address (In Block Letters)

.....  
.....  
.....  
.....PIN.....

8. Nationality

.....

9. Permanent Address

.....  
.....  
.....PIN.....

10. Name of the nearest Railway Station : .....

11. Two Identification Marks

(a) .....

(b).....

12. Mention the Medium of Examination as per para 8-B-a :

**Declaration**

"I do hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the test/written examination/interview, my candidature will stand cancelled all my claims for recruitment forfeited.

Full signature of the candidates

LTI for male/RTI for female

.....  
In Hindi or in English (not in capital letter)  
Place .....

Affix thumb impression in box above

**Call Letter for 'WRITTEN EXAMINATION'**

Roll No.....

In reference to your application for the post of Sub Inspector (Executive) in RPF/ RPSF. you are directed to appear for the Written Examination. The Written Examination will be conducted on .....at.....hrs. The venue for Written Examination is.....

(above portion for official use only and not to be filled by the candidate)

Chairman  
Zonal Recruitment Committee  
&Chief Security Commissioner

➤ to be filled by candidate

1. Name.....2. Father's/Husband's Name.....  
3 Sex (Male /Female).....4. Category(Gen/SC/ST/OBC).....  
5 Ex. Servicemen (Yes/No).....  
6 Address.....

Paste here a self  
signed  
photograph of  
size 4cm x 3cms  
(sign. across  
covering the  
sheet and the  
photograph

-----Tear along this dotted line.....

**Call Letter for 'PHYSICALLY EFFICIENCY TEST'**

Roll No.....

On the basis of the result of the Written Examination, you have qualified to appear for PET for the post of Sub Inspector (Executive) in RPF/RPSF. You are directed to appear for Physical Efficiency Test (PET) on .....at.....hrs. The venue for PET is.....

(above portion for official use only and not to be filled by the candidate)

Chairman  
Zonal Recruitment Committee  
&Chief Security Commissioner

➤ to be filled by candidate

1. Name.....2. Father's/Husband's Name.....  
3 Sex (Male /Female).....4. Category(Gen/SC/ST/OBC).....  
4 Ex. Servicemen (Yes/No).....  
5 Address.....

Paste here a self  
signed  
photograph of  
size 4cm x 3cms  
(sign. across  
covering the  
sheet and the  
photograph

**Call letter for VIVA- VOCE**

Roll No.....

On the basis of the result of the **Written Examination & PET**, you have qualified to appear for Vive Voce for the post of Sub Inspector (Executive) in RPF/RPSF. The Vive Voce will be conducted on .....at.....hrs. The venue for Vive Voce will be .....

(Above portion for official use only and not to be filled by the candidate)

Chairman  
Central Recruitment Committee  
& Chief Security Commissioner

➤ to be filled by candidate

1. Name.....
2. Father's/Husband's Name.....
3. Sex (Male /Female).....
4. Category(Gen/SC/ST/OBC).....
5. Ex. Servicemen (Yes/No).....
6. Address.....

Paste here a self signed photograph of size 4cm x 3cms (sign across covering the sheet and the photograph)
---

**General Instructions :**

1. The candidates must make their own arrangement for boarding and lodging during exam
2. The candidates must bring shorts, P.T. shoes and Vests for Physical Efficiency Test.



**THE FORM OF THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTE AND SCHEDULE  
TRIBES CANDIDATES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST  
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\*..... son/daughter\* of  
.....of village/town\*.....in  
District/Division\* .....of the State/Union Territory\*..... belongs to the  
.....Caste/Tribe\* which is recognized as Scheduled Caste/ Schedule Tribe\* under: -

The Constitution (Schedule Caste) Order 1950\*

The Constitution (Schedule Tribes) Order 1950\*

The Constitution (Schedule Castes) (Union Territories) Order, 1951\*

The Constitution (Schedule Tribes)\* (Union Territories) Order, 1951\*

As amended by the Schedule Castes and Schedule Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu and Kashmir) Schedule Castes Order, 1956\*

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959\* as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment Act, 1976\*)

The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962\*

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964\*

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967\*

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968\*

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970\*

The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste order, 1978\*

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978\*

ii) Shri/Shrimati/Kumari\*.....and of his/her\* family ordinarily  
reside(s) in village/town\*..... of ..... District/Division\*  
..... of the State/Union Territory of .....

Signature.....

Designation.....

(With seal of office)

State/Union Territory\*

Place: .....

Date: .....

\*Please strike off whichever is not applicable.

**Note:** - The term\* "ordinarily reside(s)" used herewith have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\* Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

- i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Magistrate Commissioner not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate
- ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt/Ku .....son/daughter of Shri..... of village/town.....District/Division..... of the State ..... belongs to the ..... community which is recognized as a Backward Class under: -

- 1 Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10<sup>th</sup> September 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I Section-I dated the 13<sup>th</sup> September 1993.
- 2 Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19.10.1994 published in Gazette of India Extraordinary Part-I Section-I No.163 dated 20.10.1994.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated 24.05.1995 published in Gazette of India Extraordinary –Pt. I, Section – I, No. 88, dated 25.05.1995
4. Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated 06.12.1996, published in Gazette of India Extraordinary – Pt. I, Section – I, No. 210, dated 11.12.1996.
5. Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India Extraordinary No. 129 dated 08.07.1997.
6. Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 164, dated 01.09.1997.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 236, dated 11.12.1997.
8. Resolution No. 12011/13/97-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 239, dated 03.12.1997.
9. Resolution No. 12011/12/96-BCC, published in Gazette of India Extraordinary – No. 166, dated 03.08.1998.
10. Resolution No. 12011/68/93-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 171, dated 06.08.1998.
11. Resolution No. 12011/68/98-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 241, dated 27.10.1999.
12. Resolution No. 12011/88/98-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 270, dated 06.12.1999.
13. Resolution No. 12011/36/99-BCC, published in Gazette of India Extraordinary –No. 71, dated 04.04.2000.

Shri/Smt/Ku..... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the .....District/Division of the ..... State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in column 3 of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel and Training O. M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993.

District Magistrate,  
Deputy Commissioner etc.

Dated:  
Seal

**NB:**

- (a) The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People's Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue cast certificates are indicated below:
  - a. District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate /Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate)
  - b. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
  - c. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar, and
  - d. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family resides.

\*\* Strike out whichever is not applicable.

DECLARATION BY APPLICANTS BELONGING TO OBC

“ I ..... Son/Daughter of Shri ..... Resident of  
 ..... of ..... village/Town/City  
 ..... District ..... State  
 ..... hereby declare that I belong to the ..... Community  
 which is recognized as a Backward class by the Govt. of India for the purpose reservation in services as per  
 orders contained in Deptt. of personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93- Estt (SCT) dated  
 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/section (Creamy Layer) mentioned in column 3 of  
 the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993”.

Signature \_\_\_\_\_

Name of the Candidate \_\_\_\_\_

Father's Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORMAT FOR INCOME CERTIFICATE TO BE ISSUED ON LETTER HEAD AS PER PARA 3 OF LETTER No.E(RRB)/2009/25/21 DATED 28.10.2009.**

**INCOME CERTIFICATE FOR WAIVER OF EXAMINATION FEES FOR RECRUITMENT IN RPF.**

1. Name of the applicant :
2. Father's/Husband's Name :
3. Age :
4. Residential Address :
5. Annual Family Income ( In Words and Figures ) :
6. Date of Issue :

Signature of Issuing Authority  
(Name).....

Stamp of Issuing Authority

**रेलवे सुरक्षा बल**  
(भारत सरकार)  
रेल मंत्रालय  
रोजगार सूचना सं.-2/2011

रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल में रुपये 9300-34800 + ग्रेड पे 4200/- के पे-बैंड में उप निरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु पात्र पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण निम्नवत है :-

**1. रिक्तियों की संख्या-**

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
69	40	91	311	511

**नोट (i)** कुल रिक्तियों का 10% तक भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा। इस कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पुनः वर्गीकरण नहीं किया जायेगा।

**नोट (ii)** रिक्तियों का 10% महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा (प्रत्येक वर्ग में)।

**नोट (iii)**

- (क) विभिन्न कोटियों में दर्शायी गयी रिक्तियों की संख्या अनन्तिम है और रेल प्रशासन के आवश्यकतानुसार उसमें बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी भी हो सकती है अथवा शून्य भी हो सकती है।
- (ख) भर्ती अथवा अधिसूचित रिक्तियों को किसी भी समय अपने विवेकानुसार निरस्त करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित होगा तथा वह निर्णय सभी संबंधित पर बाध्य होगा।
- (ग) भर्ती निरस्त होने की दशा में परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
- (घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल में, उप निरीक्षक का पद उपयुक्त चिन्हित नहीं किया गया है।
- (ङ) चयनित अभ्यर्थी भारत के किसी भी स्थान में रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सेवा करने के लिए बाध्य होंगे।

**2. वेतन एवं भत्ते-** उक्त पद हेतु पे बैंड रु. 9300-34800 में ग्रेड पे 4200/- सहित कुल 13500/- एवं अन्य भत्ते रेलवे नियम के तहत देय होंगे।

**3. अपात्रता-** कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध किया है जिसका पूर्व में ही जीवित पति/पत्नी हो, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुये भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध किया हो, ऐसा व्यक्ति रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

**4. पात्रता-**

(क) **नागरिकता-** वह भारत का नागरिक हो।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता-** उम्मीदवार, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षा संस्था से शिक्षा प्राप्त करने की दशा में सरकारी अधिसूचना संलग्न करें जिसमें घोषणा की गई हो कि संदर्भित परीक्षा केन्द्रीय सरकार में रोजगार हेतु स्नातक है।

(ग) **आयु-** उम्मीदवार की आयु एक जुलाई 2011 को 20 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् उम्मीदवार का जन्म दिनांक 01.07.1986 के पहले एवं दिनांक 01.07.1991 के बाद का नहीं होना चाहिये। मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र में उल्लिखित आयु ही मान्य/स्वीकार्य होगी।

**(घ) आयु सीमा में छूट-**

क्र.सं.	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा में छूट
1.	अनु.जाति/अनु.जनजाति	05 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
3.	भू.पू. सैनिक (अनारक्षित/ सामान्य)	1 जुलाई 2011 को पूर्ण हुई

		वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा के वर्षों को घटाकर शेष वर्षों से 03 वर्ष बाद तक।
4.	भूपू. सैनिक (अ.पि.व.)	1 जुलाई 2011 को पूर्ण हुई वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा के वर्षों को घटाकर शेष वर्षों से 06 वर्ष (3वर्ष+3वर्ष) बाद तक।
5.	भूपू. सैनिक (अनु.जाति/अनु. जन जाति)	1 जुलाई 2011 को पूर्ण हुई वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा के वर्षों को घटाकर शेष वर्षों से 08 वर्ष (3वर्ष+5वर्ष) बाद तक।
6.	ऊपरी आयु में छूट उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 1980 से 31.12.1989 तक की अवधि में आमतौर पर जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (अनारक्षित)।	05 वर्ष तक
7.	ऊपरी आयु में छूट उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जो दिनांक 01 जनवरी 1980 से 31.12.1989 तक की अवधि में आमतौर पर जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास किया गया हो (अन्य पिछड़ा वर्ग)।	08 वर्ष तक
8.	ऊपरी आयु में छूट उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 1980 से 31.12.1989 तक की अवधि में आमतौर पर जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (अनु.जाति/अनु. जनजाति)।	10 वर्ष तक
9.	केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी जिनमें कार्यरत रेलवे कर्मचारी भी शामिल है, जिन्होंने 03 वर्ष की नियुक्ति एवं लगातार सेवा दिनांक 01.07.2011 को पूर्ण कर ली हो (अनारक्षित)।	30 वर्ष की आयु तक
10.	केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी जिनमें कार्यरत रेलवे कर्मचारी भी शामिल है, जिन्होंने 03 वर्ष की नियुक्ति एवं लगातार सेवा दिनांक 01.07.2011 को पूर्ण कर ली हो (अन्य पिछड़ा वर्ग)।	33 वर्ष की आयु तक
11.	केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी जिनमें कार्यरत रेलवे कर्मचारी भी शामिल है, जिन्होंने 03 वर्ष की नियुक्ति एवं लगातार सेवा दिनांक 01.07.2011 को पूर्ण कर ली हो (अनु. जाति/ अनु. जन जाति)।	35 वर्ष की आयु तक

**नोट :-**

ऊपर क्र.सं. 6, 7 एवं 8 के तहत छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को, जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र में उन्होंने साधारणतया अधिवास किया हो अथवा उस क्षेत्र के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर पद नामित किया गया हो, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि दिनांक 01 जनवरी 1980 से 31.12.1989 तक की अवधि में उनका अधिवास जम्मू कश्मीर राज्य में था।

**(ड) शारीरिक मापदण्ड :** उम्मीदवार का निम्न शारीरिक मापदण्ड होना अनिवार्य है।

कोटि	ऊँचाई पुरुष (सेमी.)	सीना बिना फुलाए पुरुष (सेमी. में)	सीना फुलाने पर	ऊँचाई महिला (सेमी.)
------	------------------------	--------------------------------------	----------------	------------------------

			पुरुष (सेमी. में)*	
अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	165	80	85	157
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	160	76.2	81.2	152
पर्वतीय क्षेत्र के लोग**	163	80	85	155

\* न्यूनतम 5 सेमी. सीना फुलाव अनिवार्य है।

\*\* गढ़वालियों, गोरखों, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा एवं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर घाटी एवं पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों के लिए बशर्ते कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट/एसडीएम/तहसीलदार एवं समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोटियों द्वारा जारी अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

### 5. चयन प्रक्रिया:-

योग्य उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक नाप-जोख, मौखिक परीक्षा, बोनस अंक, यदि कोई प्राप्त करता है एवं अभिलेखों की जांच में, प्रदर्शन के आधार पर भर्ती की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक नाप तौल के लिए केवल उन अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा जो लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे।

#### (अ) लिखित परीक्षा-

(क) लिखित परीक्षा में एक-एक अंक के 120 कई विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसकी अवधि 90 मिनट होगी। प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा एवं अधिकतम 120 अंकों का होगा। प्रश्न-पत्र में सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति (अंक 35) के 35 प्रश्न, गणित (अंक 35) के 35 प्रश्न तथा सामान्य जानकारी (अंक 50) के 50 प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक दिया जायेगा और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। जिन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा, न तो अंक दिये जायेंगे, न कटौती ही की जायेगी।

(i) **सामान्य जानकारी (50 अंक)** - इस भाग में आसपास मौजूदा परिवेश के बारे में उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तमान घटनाओं तथा दिन-प्रतिदिन के अनुभवों से संबन्धित मामलों और वैज्ञानिक दृष्टि से उनके अनुभव की ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके बारे में आशा की जाती है कि एक शिक्षित व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी होगी। इस परीक्षा में भारत से संबन्धित प्रश्न खासतौर पर इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजतंत्र, भारतीय संविधान, खेलकूद, सामान्य विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से सम्बन्धित होंगे।

(ii) **अंकगणित (35 अंक)** :- इस भाग में संख्या प्रणालियों से सम्बन्धित प्रश्न जिसमें, पूर्ण अंकों, दशमलव और भिन्न (Fraction) की गणना, संख्याओं के बीच संबंध, मूलभूत अंकगणितिय कार्य, प्रतिशत अनुपात व समानुपात, औसत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिका तथा ग्राफ का प्रयोग, मेन्सुरेशन, समय और दूरी, अनुपात और समय इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

(iii) **सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति परीक्षण (35 अंक)** :- इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस भाग में निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न शामिल होंगे - साम्यानुमानता, समानता और अंतर, आकाशीय दृष्टिकोण, आकाशीय अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय बोध, निर्णय लेना, विजुअल मैमोरी, डिसक्रिमेशन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कता, वाचिक और आकृतिगत वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डी-कोडिंग विवरण, निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्कता आदि।

(ख) लिखित परीक्षा के समय उम्मीदवारों को बुलावा पत्र लाना अनिवार्य है। बुलावा पत्र डाक द्वारा भेजे जाएंगे। बिना बुलावा पत्र के लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) प्रश्न पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, बंगाली, तेलगू, उडिया, पंजाबी, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड, कोंकणी, असमिया, एवं मणिपुरी भाषाओं में होगा। आवेदक जिस विशेष भाषा में प्रश्न पत्र चाहते हैं उस भाषा को अपने आवेदन पत्र में इंगित करें। एक बार चुनी गई भाषा को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

(घ) बुलावा-पत्र में तिथि, लिखित परीक्षा का स्थान, समय एवं उससे संबंधित अन्य हिदायतें इंगित होंगी।

(ड.) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक (अजा/अजजा के लिए 35% अंक) प्राप्त करने होंगे तभी वह अन्य परीक्षा हेतु पात्र होगा।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक नाप—जोख—

- क. लिखित परीक्षा में केवल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयतानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक माप तौल के लिए इस प्रकार बुलाया जायेगा कि प्रत्येक वर्ग में अधिसूचित रिक्तियों की तीन गुना संख्या में हो। चयन विशुद्ध रूप से योग्यता व वरीयता के आधार पर मौखिक परीक्षा व प्रमाण पत्रों की जांच के बाद होगा।
- ख. शारीरिक दक्षता परीक्षा में नीचे दर्शाए गई सारिणी के अनुसार स्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। उम्मीदवार को सभी स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है तभी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। प्रत्येक स्पर्धा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण स्तर निम्न प्रकार का होगा:—

स्पर्धा	पुरुष	महिला	प्रदत्त अवसर
1600 मी. दौड़	6 मिनट 30 सैकेण्ड	लागू नहीं	एक
800 मी. दौड़	लागू नहीं	4 मिनट	एक
100 मी. दौड़	16 सैकेण्ड	18 सैकेण्ड	एक
ऊंची कूद	1.2 मीटर	0.9 मीटर	दो
लम्बी कूद	3.65 मीटर	2.7 मीटर	दो
गोला फेंक (तौल 16 एलबीएस )	4.5 मीटर	लागू नहीं	दो

- (ग) सर्वप्रथम 1600 एवं 800 मीटर की दौड़ रखी जाएगी। जो इस स्पर्धा में पास होंगे वे ही अन्य स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। दौड़ में सफल होने वाले उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीना नापा (केवल पुरुष) जाएगा। उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता परीक्षा की किसी भी स्पर्धा या शारीरिक नाप जैसे ऊँचाई या सीना के नाप में सफल नहीं होते हैं, उस उम्मीदवार को अनुत्तीर्ण घोषित कर उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाकर परीक्षा स्थल से बाहर कर दिया जायेगा तथा उनके बुलावा पत्र को वापस नहीं किया जायेगा।



- (ध) निर्धारित तिथि एवं स्थान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसकी सूचना उम्मीदवार को अग्रिम रूप से दे दी जाएगी।  
 (ड.) भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली जायेगी।  
 (च) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रेषित बुलावा-पत्र में इस विषय से संबंधित अन्य निर्देश अंकित होंगे।

### (ग) मौखिक परीक्षा एवं प्रमाण-पत्रों की जांच-

- (क) जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक नाप-जोख में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मौखिक परीक्षा एवं प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु बुलाया जायेगा। तथापि प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवार ही मौखिक परीक्षा तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जायेंगे। उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों की जांच के समय अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन में दिए गये प्रारूप पर) अधिवास एवं अन्य क्रिया कलाप से संबंधित प्रमाण पत्र एवं एन.सी.सी. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में प्रमाण-पत्र बाद में दिखाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों को दिखाने में असमर्थ होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति अनिवार्य है। जो उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें अन्तिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा चाहे उन्होंने लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में वरीयता प्राप्त कर ली हो।
- (ख) मौखिक परीक्षा का उद्देश्य आवेदक की सामान्य जागरुकता, विचारों की प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, अनुभव इत्यादि को निर्धारित करना है।
- (ग) मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतम 15 अंक होंगे (अधिमान अंकों के साथ)।
- (घ) अधिमान अंक :

अधिमान अंक निम्न प्रकार आवंटित होंगे-

#### (i) एनसीसी-

'बी' प्रमाण-पत्र	-01 अंक
'सी' प्रमाण-पत्र	-02 अंक

एनसीसी प्रमाण पत्र पर अधिकतम अंक 02 अंक ही अधिमान के रूप में दिए जायेंगे। अधिमान अंक का लाभ मूल प्रमाण पत्र दिखाने पर ही देय होगा।

#### (ii) खेल-कूद- (नीचे अंकित सूची अधिमान अंक के लिए )

- अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो - 01 अंक
- अन्तर राज्य प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो - 02 अंक
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो - 03 अंक
- राष्ट्रीय स्तर के खेल-कूद प्रतियोगिता में मेडल विजेता - 03 अंक

खेलकूद प्रमाण पत्रों के अधिकतम अधिमान अंक 03 से ज्यादा नहीं होंगे

#### अधिमान अंकों के लिए स्पोर्ट्स/खेलों की सूची :-

1. एथलेटिक्स, 2. तैराकी, 3. निशानेबाजी, 4. मुक्केबाजी, 5. कनूइंग, 6. साईकिलिंग 7. कुश्ती, 8. जिमनास्टिक, 9. जूडो, 10. नौकायन, 11. भारोत्तोलन, 12. तलवारबाजी (फेनसिंग) 13. कराटे, 14. घुड़सवारी, 15. तीरदाजी, 16. टेबिल टेनिस, 17. टेनिस, 18. बैडमिंटन, 19. गोताखोरी, 20. तराईथलॉन, 21. वॉलीबाल, 22. वाटर पॉलो, 23. नेटबॉल, 24. खो-खो, 25. बास्केटबॉल, 26. फुटबॉल, 27. कबड्डी (सर्किल कबड्डी/बीच कबड्डी) 28. हैंडबॉल, 29. हॉकी, 30. क्रिकेट, 31. गोल्फ, 32. पॉवर लिफ्टिंग।

(iii) सभी कोटियों को मिलाकर कुल बोनस अंक 05 अंक से अधिक नहीं होगा।

(ड.) मौखिक परीक्षा के लिए भेजे गये बुलावा पत्र में इस विषय से संबंधित अन्य निर्देश दिए जाएंगे, यदि कोई हुए तो।

### 6. चिकित्सीय परीक्षा-

योग्य उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा हेतु रेलवे चिकित्सालय में भेजा जायेगा। उम्मीदवारों को इण्डियन रेलवे मेडिकल मैन्यूअल के अनुसार निर्धारित बी-1 श्रेणी के उपयुक्त होना आवश्यक है। जो उम्मीदवार चश्मा

धारण करते हैं, या पैर का तलुआ सपाट है, पैर के दोनों घुटने आपस में मिलते हैं, जिनकी आखों में भँगापन है एवं वर्णाधता है या अन्य कोई शारीरिक दोष हो तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

### 7. प्रशिक्षण—

चयन के उपरान्त योग्य उम्मीदवारों को एक कठिन प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु, रेसुब/रेसुविब के किसी प्रशिक्षण केन्द्र या रेल प्रशासन द्वारा निर्णित किसी भी संस्थान में भेजा जाएगा। उस दौरान, उन्हें स्टार्टिपेण्ड की राशि रु. 9300 + ग्रेड पे— 4200/— एवं रेल नियमों के तहत अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे। बल में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के बाद आयोजित अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

### 8. आवेदन कैसे करें—

#### (क) परीक्षा शुल्क—

परीक्षा शुल्क.रुपया 150/— का रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित रेलवे जहां आवेदन पत्र जमा कराया गया हो, के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के नाम से होना चाहिए। चैक या मनीआर्डर स्वीकार नहीं किए जायेंगे। महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है।

अल्पसंख्यक से अर्थ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी से होगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आशय है—जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 50,000/—(रुपये पचास हजार) से कम हो। निम्नलिखित अधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के प्रयोजन के लिये आय प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं।

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर के राजस्व अन्य कोई भी अधिकारी द्वारा।
2. उस व्यक्ति के संसदीय क्षेत्र के मौजूदा लोक सभा सदस्य।
3. बी.पी.एल. कार्ड धारक या किसी भी केन्द्र सरकार या अन्य मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा रेलवे द्वारा जारी इज्जत एम.एस.टी. धारक।
4. केन्द्रीय मंत्री द्वारा देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति की संस्तुति की जा सकती है।
5. राज्य सभा के मौजूदा सांसद जिस जिला में निवास करते हैं उस जिला में निवास करने वाले व्यक्तियों हेतु उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

आय प्रमाण पत्र संलग्नक 'एफ' पर संलग्न प्रोफार्मा पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए।

#### (ख) आवेदन पत्र— आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक "ए" में दिया गया है।

(क) आवेदन पत्र का प्रारूप भारतीय रेलवे के वेबसाईट ([www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in)) से डाउनलोड किया जा सकता है या रोजगार समाचार या इस विज्ञापन में से लिया जा सकता है और उसे ए-4 साईज बाण्ड पेपर पर जो एक तरफ ही छपा हो, को अपने चुने गये प्रश्न पत्र की भाषा से सम्बन्धित पते पर प्रेषित करें। केवल एक ही आवेदन पत्र भेजें। आवेदन पत्र भेजने का पता एवं ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर किसके पक्ष में व कहां देय होगा इससे सम्बन्धित विवरण निम्नप्रकार है :-

आवेदकों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र की भाषाएँ अंकित हैं।

समूह संख्या	आवेदन पत्र भेजने का पता	ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर जिसके पक्ष में देय है	स्थान जहाँ देय है।	प्रश्न पत्र की भाषाएं
1	मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब उत्तर मध्य रेलवे, पोस्ट बॉक्स न. 1-25 इलाहाबाद (उ.प्र.)	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद (उ.प्र.)	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी।
2	मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब दक्षिण पूर्वी रेलवे, पोस्ट बॉक्स न. 663 गार्डनरिच,	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, दक्षिण पूर्वी रेलवे, गार्डनरिच, कोलकाता	कोलकाता (प.बं.)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, उड़िया, बंगाली, असमिया, मणिपुरी

	कोलकाता (प.बं) 700001	(प.बं)		
3	मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पोस्ट बॉक्स नम्बर- 12 मुम्बई 400001 (महाराष्ट्र)	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई (महाराष्ट्र)	मुम्बई (महाराष्ट्र)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, कोंकणी।
4	मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलायम, पोस्ट बॉक्स नम्बर-7101 सिकन्दराबाद (आन्ध्रप्रदेश)	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद (आ.प्र.)	सिकन्दराबाद (आ.प्र.)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम।

- (ख) आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "रे.सु.ब./रेसुविब में उप निरीक्षक पद हेतु आवेदन" लिखा होना चाहिए।
- (घ) आवेदन पत्र को साधारण डाक की द्वारा भेजा जाना चाहिए। कठिनता से बलवत्सेपथों से भेजा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा।
- (ङ.) आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र के नीचे बने आरेख में पुरुष अभ्यर्थी द्वारा बाएं हाथ के अंगूठे तथा महिला अभ्यर्थी द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगा होना चाहिए। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, लगातार न होने अथवा अधूरे हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। सुधार या अभिलेखित अथवा धब्बेदार अंगूठे के निशान के साथ आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (च) आवेदक की रंगीन फोटोग्राफ (3.5 सेमी X 4.5 सेमी), टोपी व धूप के चश्में के बिना, सामने देखते हुये, साफ फोटो को आवेदन पत्र में दिये गये स्थान में चिपकाना चाहिये।

(छ) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए—

1. रुपये 150/- का रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, जहां आवश्यक हो।
2. शैक्षिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप स्नातक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आयु प्रमाण पत्र के प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. संलग्नक "सी"/"डी" पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में, जहां भी लागू हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की सत्यापित प्रति।
5. संलग्नक 'ई' के प्रोफार्मे पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का घोषणा पत्र।
6. अधिवास प्रमाण पत्र की प्रति (जहाँ लागू हो)।
7. भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
8. आवेदन पत्र के साथ चिपकाए गए एक फोटो के अतिरिक्त दो रंगीन फोटोग्राफ (3.5 सेमी X 4.5 सेमी) बिना टोपी एवं धूप के चश्मे के सामने देखते हुए जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम दर्ज हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने चाहिए।
9. अपना पता लिखा तीन लिफाफे (28 सेमी X 12 सेमी) प्रत्येक पर रु. 5/- का डाक टिकट लगा साथ भेजें।
10. शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र।
11. कार्यरत केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के मामले में मौजूदा नियोजक की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ज) आवेदन पत्र निम्नलिखित के आधार पर अस्वीकृत किये जा सकते हैं—

- (i) संलग्नक 'ए' के अनुसार आवेदन पत्र का न होना।
- (ii) प्रार्थना पत्र के साथ रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े होने का सर्टिफिकेट न संलग्न होना, जहां लागू हो।
- (iii) निर्देशानुसार रंगीन फोटोग्राफ का न चिपका होना।
- (iv) अहस्ताक्षरित, अधूरा अथवा अस्पष्ट प्रार्थना पत्र, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- (v) अधिक अथवा कम आयु का होना।
- (vi) स्नातक /मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष का प्रमाण पत्र जो शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि को प्रमाणित करता हो का संलग्न न होना।
- (vii) प्रार्थना पत्र का हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में भरा होना।
- (viii) अजा/अजजा, अपिव के उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न न करना।
- (ix) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को संलग्न न करना।
- (x) अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा संलग्नक 'ई' के अनुसार घोषणा पत्र न संलग्न करना।
- (xi) अधिवास प्रमाण पत्र का संलग्न न होना (जहाँ लागू हो)।
- (xii) आवेदन पत्र अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होना।
- (xiii) स्व पता लिखे एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न न होने पर।
- (xiv) अतिरिक्त फोटो संलग्न न होने पर।
- (xv) कोई अन्य निर्देश/आवश्यकता पूरी न होने पर।

### 9. टिप्पणी—

1. अभ्यर्थियों को सभी परीक्षाओं हेतु परीक्षा स्थल पर रहने, खाने—पीने व आने—जाने की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी।
2. शारीरिक दक्षता हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अपनी जिम्मेदारी पर भाग लेना होगा। रेलवे प्रशासन इस दौरान अभ्यर्थी को लगी चोट अथवा अन्य जोखिम हेतु जिम्मेदार नहीं होगा और न ही इस दशा में कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी। परीक्षा हेतु पीटी शू, शार्ट्स, बनियान आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। कोई भी सामग्री रेलवे द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
3. सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु पेन, पेन्सिल आदि की आपूर्ति स्वयं करेंगे।
4. पात्र उम्मीदवारों को वर्तमान रेलवे नियम के अन्तर्गत रेलवे पास जारी किया जायेगा।
5. भर्ती के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की दशा में उस अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है साथ—साथ उसकी अभ्यर्थिता भी रद्द की जायेगी।
6. आवेदक, जिसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त से सम्बन्धित प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है उसे रे.सु.बि.ब./रे.सु.ब. में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आवेदन—पत्र में गलत तथ्यों की घोषणा/असत्य दस्तावेज प्रस्तुत करना कानूनी अपराध है और यह अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज करने के साथ—साथ उसकी अभ्यर्थिता को भी रद्द करने के लिए पर्याप्त होगी। यदि वह किसी तरह से नियुक्त हो जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय सही तथ्यों को ही आवेदन पत्र में भरें।
7. चयन समिति का निर्णय, सभी बिन्दुओं जैसे—योग्यता, स्थान, जगह, तारीख, चयन का तरीका, आवेदन पत्रों की स्वीकृति/अस्वीकृति अन्तिम होगा और उसे अभ्यर्थियों को मानना अनिवार्य होगा।
8. यदि किसी अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता माप की कोई शिकायत है तथा जिसका निवारण अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा नहीं हो पाता है तो वह तीन दिन के भीतर, क्षेत्रीय मुख्य सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत निवारण सेल से सम्पर्क कर सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
9. भूतपूर्व सैनिक कोटा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नोट करें कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, आवेदक, जिसके द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक होने के कारण किसी भी सरकारी नौकरी पाने का लाभ उठाया जा चुका है, को इस भर्ती में भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ नहीं दिया जायेगा।
10. यदि कोई अभ्यर्थी रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्यरत है तो उसे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं चयनोपरान्त उसे उस विभाग द्वारा रे.सु.ब. में कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्पेयर करने की घोषणा संबंधी प्रमाण—पत्र को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं अभिलेखों के सत्यापन हेतु किसी भी स्थान पर बुलाने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
12. रेलवे सुरक्षा बल में रेलवे सुरक्षा विशेष बल भी शामिल है।
13. आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र प्राप्त होने के मामले में डाक बिलम्ब तथा गलत डिलेवरी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
14. किसी प्रकार संयाचना (Canvassing) अपात्रता/अयोग्यता होगी।

10. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि यह अधिसूचना, रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन (पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए 37 दिन) के अन्दर है।

(हरानन्द)

मुख्य सुरक्षा आयुक्त  
उत्तर पश्चिम रेलवे एवं  
अध्यक्ष केन्द्रीय भर्ती समिति

जयपुर।

दिनांक :- 13 अप्रैल—2011

रेलवे सुरक्षा बल  
(रेल मंत्रालय)  
आवेदन फार्म

रोल नं.....  
(केवल सरकारी उपयोग के लिए)

उपर्युक्त बॉक्स को चिन्हित (☑) करें

पुरुष	महिला		
सामान्य	ओबीसी	अजा	अजजा

आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर  
( जो फोटोग्राफ एवं आवेदन  
दोनों को क्रॉस करता हो) एवं  
हाल ही में खिंचा हुआ बिना  
टोपी एवं रंगीन चश्मे का  
फोटोग्राफ (4.5 सेमी X 3.5  
सेमी ) चिपकाए।

सेवामें  
अध्यक्ष केन्द्रीय भर्ती समिति एवं  
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब

मैं रोजगार सूचना संख्या.....के प्रत्युत्तर में रेसुब/रेसुविब उप निरीक्षक (कार्यकारी) पद के लिए एतद्वारा आवेदन करता/करती हूँ।

- (i) उम्मीदवार का नाम .....
- (ii) पिता/पति का नाम.....
- क) जन्म तिथि दिनांक   माह   वर्ष
- क्या भूतपूर्व सैनिक है, उपर्युक्त बॉक्स में (☑) का निशान लगाएं: हां  नहीं
- (i) आयु संबंधी रियायत प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त पर (☑) का निशान लगाए -

केन्द्रीय सरकार के  
कर्मचारी

जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी

विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अपने पति से अलग महिलाएं  
जिनहोने पुनर्विवाह न किया हो

(ii) ऊँचाई में पहाडी क्षेत्र के निवासी होने के कारण रियायत प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त बॉक्स (☑) में निशान लगाएँ हों  नहीं   
(गढवाली, गोरखा, कुमायु, डोगरा, मराठा इत्यादि के लिए एवं अन्य वर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उल्लिखित किये जाते हैं)

- केन्द्रीय, सिविल कर्मचारियों के सम्बन्ध अंकित करें :-  
(अ) पदनाम .....
- (ब) संगठन .....
- (स) नियमित सेवा की अवधि .....

6. बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर (आर्डरों) के ब्यौरे :-

बैंक / डाकघर का नाम	बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर की सं.	जारी करने की तारीख	मूल्य

7. डाक का पूरा पता (बड़े अक्षरों में) : .....

.....

.....पिन कोड.....

8. राष्ट्रीयता

9. स्थाई पता :

.....पिन कोड.....

10. समीपवर्ती रेलवे स्टेशन का नाम : .....

11. दो पहचान चिन्ह: (क) .....

(ख) .....

12. परीक्षा का माध्यम पैरा संख्या 8-ख-क, के अनुसार अंकित करें

घोषणा पत्र

“मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गये सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से सत्य, पूर्ण और सही है। यदि कोई सूचना गलत अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा परीक्षा/लिखित/साक्षात्कार से पूर्व अथवा इसके बाद अपात्रता का पता

उम्मीदवार के पूरे हस्ताक्षर

लगने पर

मेरी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाए और भर्ती के लिए मेरे सभी दावों को समपहत माना जाए।

(पुरुष के बाएं अंगुठे का  
निशान/स्त्री के लिए दाएं अंगुठे का  
निशान।

हिन्दी या अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में नहीं)  
स्थान

उपरोक्त बॉक्स में अंगुठे का निशान लगाएं

## “लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र”

रोल नं.....  
 रेसुब/ रेसुविब में उप निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए आपके आवेदन पत्र के संबंध में आपको लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है।  
 लिखित परीक्षा.....तारीख को..... बजे आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए स्थान.....  
 .....होगा।

(उपर्युक्त कॉलम केवल कार्यालय उपयोग के लिए है और इसे उम्मीदवार द्वारा न भरा जाए)

अध्यक्ष  
 क्षेत्रीय भर्ती समिति एवं  
 मुख्य सुरक्षा आयुक्त

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाये)

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. लिंग (पुरुष/महिला).....
4. कोटि (साधारण/अजा/अजजा/अपिव.....
5. भूतपूर्व सैनिक (हाँ/नहीं).....
6. पता.....

आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर ( जो फोटोग्राफ एवं आवेदन दोनो को क्रॉस करता हो) एवं हाल ही में खिचा हुआ बिना टोपी एवं बिना रंगीन चश्मे का फोटोग्राफ (4 सेमी X 3 सेमी ) चिपकाए।

.....इसे बिन्दु रेखा से फाडा जाए.....

## “शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलावा पत्र”

रोल नं.....  
 रेसुब/ रेसुविब में उप निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर आपने शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।  
 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए .....तारीख को..... बजे उपस्थित होने हेतु निर्देश दिया जाता है। पीईटी के लिए स्थान .....होगा।

(उपर्युक्त कॉलम केवल कार्यालय उपयोग के लिए है और इसे उम्मीदवार द्वारा न भरा जाए)

अध्यक्ष  
 क्षेत्रीय भर्ती समिति एवं  
 मुख्य सुरक्षा आयुक्त

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाये)

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. लिंग (पुरुष/महिला).....
4. कोटि (साधारण/अजा/अजजा/अपिव.....
5. भूतपूर्व सैनिक (हाँ/नहीं).....
6. पता.....

आवेदक के हस्ताक्षर ( जो फोटोग्राफ एवं आवेदन दोनो को क्रॉस करता हो) एवं हाल ही में खिचा हुआ बिना टोपी एवं बिना रंगीन चश्मे का फोटोग्राफ (4 सेमी X 3 सेमी ) चिपकाए।

.....इसे बिन्दु रेखा से फाडा जाए.....



**“मौखिक परीक्षा के लिए बुलावा पत्र”**

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आपने रेसुब/रेसुविब में उप निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए मौखिक परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, मौखिक परीक्षा.....तारीख को..... बजे आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा के लिए स्थान..... होगा।

(उपर्युक्त कॉलम केवल कार्यालय उपयोग के लिए है और इसे उम्मीदवार द्वारा न भरा जाए)

रोल नं.....  
अध्यक्ष  
केन्द्रीय भर्ती समिति एवं  
मुख्य सुरक्षा आयुक्त

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाये)

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. लिंग (पुरुष/महिला).....
4. कोटि (साधारण/अजा/अजजा/अपिव.....
5. भूतपूर्व सैनिक (हाँ/नहीं).....
6. पता.....

आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर ( जो फोटोग्राफ एवं आवेदन दोनो को क्रॉस करता हो) एवं हाल ही में खिचा हुआ बिना टोपी एवं बिना रंगीन चश्मे का फोटोग्राफ (4 सेमी X 3 सेमी ) चिपकाए।

.....इसे बिन्दु रेखा से फाडा जाए.....

**सामान्य अनुदेश :**

1. उम्मीदवार परीक्षा के दौरान भोजन और आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करें।
2. उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निक्कर, पीटी जूते और बनियान अवश्य लाएं।

**भारत सरकार की अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. \_\_\_\_\_पुत्र/पुत्री'  
श्री-\_\_\_\_\_ निवासी ग्राम/कस्बा'-----के  
जिला/सम्भाग'-----राज्य/संघ क्षेत्र'-----अनुसूचित  
जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950/

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950/

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951/

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 (जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन द्वारा संशोधित है) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमांचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956/

संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959/ जैसाकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन 1976\*)

संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962/

संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964/

संविधान अनुसूचित जाति आदेश (उत्तर प्रदेश) 1967/

संविधान (गोवा दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968/

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970/

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978/

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978/

श्री/श्रीमती/कुमारी'----- और या उसका परिवार सामान्यतः

जिला/डिविजन-----के गाँव/शहर-----

राज्य/संघ शासित क्षेत्र-----में निवास करता है।

स्थान----- राज्य/संघ शासित क्षेत्र----- हस्ताक्षर-----

तिथि----- पद नाम-----

(कार्यालय मुहर के साथ)'

जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

नोट : यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के खण्ड 20 में है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारियों की सूची :-

(i) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपसमाहर्ता/अपर उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी स्टाईपेड्री मजिस्ट्रेट/सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक उपायुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/एकसमजिस्ट्रेट कमीश्नर जो प्रथम श्रेणी स्टाईपेड्री मजिस्ट्रेट से नीचे के पद का न हो।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे स्तर का नहीं हो।

उस क्षेत्र के सब डिवीजनल आफिसर जहाँ उम्मीदवार और/उसका परिवार रहता हो।

एडमिनिस्ट्रेटर/एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर (लक्षद्वीप)।

भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. \_\_\_\_\_  
पुत्र/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ निवासी ग्राम/कस्बा \_\_\_\_\_ के  
जिला/सम्भाग \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ अन्य पिछड़ा वर्ग \_\_\_\_\_ से सम्बन्धित है जो  
निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1. भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग- I, अनुभाग- I दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित हो।
2. भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं.-12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19.10.1994 जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग- I के अनुभाग- I सं-163 दिनांक 20.10.1994।
3. संकल्प सं.-12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24.05.1995 जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग- I, अनुभाग- I सं. 88, दिनांक 25.05.1995
4. संकल्प सं.-12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 06.12.1996 जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग- I, अनुभाग- I सं. 210, दिनांक 11.12.1996
5. संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 129, दिनांक 08.07.1997
6. संकल्प सं.-12011/12/96-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 164, दिनांक 01.09.1997
7. संकल्प सं.-12011/99/94-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 236, दिनांक 11.12.1997
8. संकल्प सं.-12011/13/97-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 239, दिनांक 03.12.1997
9. संकल्प सं.-12011/12/96-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 166, दिनांक 03.08.1998
10. संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 171, दिनांक 06.08.1998
11. संकल्प सं.-12011/68/98-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 241, दिनांक 27.10.1999
12. संकल्प सं.-12011/88/98-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 270, दिनांक 06.12.1999
13. संकल्प सं.-12011/36/99-बीसीसी, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 71, दिनांक 04.04.2000

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और या उसका परिवार सामान्यतः जिला/डिविजन  
\_\_\_\_\_ के राज्य \_\_\_\_\_ में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता  
है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. सं.-36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.  
09.1993 के अनुसूची 3 में वर्णित (किमीलेयर) के अन्तर्गत नहीं आता/आती है।

तिथि \_\_\_\_\_

जिला मजिस्ट्रेट \_\_\_\_\_

मुहर \_\_\_\_\_

उपायुक्त आदि \_\_\_\_\_

नोट : (अ) यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के खण्ड 20 में है।  
(ब) नीचे वर्णित निम्नलिखित पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत हैं—  
जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी स्टाईपेड्री  
मजिस्ट्रेट/सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक उपायुक्त/( प्रथम श्रेणी  
स्टाईपेड्री मजिस्ट्रेट के नीचे के पद का न हो )  
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।  
राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे स्तर का नहीं हो और  
उस क्षेत्र के सब डिवीजनल आफिसर जहाँ उम्मीदवार और/उसका परिवार रहता हो।  
" जो लागू न हो उसे काट दें।

## अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया घोषणा पत्र

मैं-----पुत्र/पुत्री श्री -----  
 निवासी-----गाँव/कस्बा/शहर-----  
 -----जिला-----

राज्य----- घोषणा करता हूँ कि मैं ----- जाति का हूँ। जो भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय के ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 द्वारा नौकरी में आरक्षण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 द्वारा जारी ज्ञापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित (किमीलेयर) के व्यक्तियों/अनुभाग से सम्बन्ध नहीं रखता/रखती हूँ।

हस्ताक्षर-----

अभ्यर्थी का नाम -----

पिता/पति का नाम -----

पता.....

.....

दिनांक-----

स्थान-----

पत्र संख्या पैरा 3 ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा 3 के अनुसार आय प्रमाण पत्र का प्रारूपपरीक्षा शुल्क में छूट हेतु आय प्रमाण पत्र

रे.सु.ब. में भर्ती हेतु "परीक्षा शुल्क में छूट हेतु आय प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी का नाम :-----

पिता/पति का नाम :-----

आयु :-----

आवासीय पता :-----

परिवार की वार्षिक आय -----

(शब्दों एवं अंकों में)

जारी तिथि :-----

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
:-----

(नाम)

जारी करने वाले अधिकारी की मुहर

:-----